तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **विक्रम चौहान बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 65/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23/08/2024	अपीलार्थी विक्रम चौहान निवासी एच 122, प्रताप नगर, यूआईटी कॉलोनी, विश्वकर्मा भवन के पास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2024 में मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 को मतदान देने हेतु उपस्थिति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 2048 दिनांक 20.08.2024 को बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये पत्रांक 1901 दिनांक 18.06.2024 को प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर को प्रेषित किया गया परंतु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा से अपेक्षित होने से प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) के स्तर से अपेक्षित नही होकर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर) के स्तर पर लंबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे अन्यथा नही दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	